न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–101 सन् 2020

जितेन्द्र कुमार सिंह वगैरह.....वादीगण।

बनाम

भागमणी देवी व अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 17.05.2023

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त बहाल करने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 15.02.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से आवेदन में कथन है कि प्रस्तुत वाद में वादी ने अपना अर्जीनालिस के सिडियुल नं0 01 एवं सिडियुल नं0 02 बनाया है। अर्जीदावी के अनुसार सिडियुल नं0 01 में 8 कठा 4 धुर, प्लॉट नं0 775, खाता नं0 02 का जमीन है और सिडियुल नं0 02, 8 कठा 4 धुर का पूर्ववारी अंश है जो उत्तरे–दक्षिणे 120 फीट और पूरबे–पश्चिमे 15 फीट है। सिडियुल नं0 02 इस मुकदमे का विवादित जमीन है जिसको नजरी नक्सा में बहस ई0,बी0,एफ0,जी0 में दिखाया गया है। प्रतिवादी ने मुकदमा में जबाब दिया है परंतु प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में तकरारी जमीन को अपना माना है और अतिक्रमण से इंकार किया है। अतः निवेदन है कि उक्त परिस्थिति में न्याय के लिए जरूरी है कि किसी सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर आवेदन में लिखित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन मांग लिया जाए। ताकि न्याय हो सके।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 15.03.2023 को दाखिल कर कथन है कि वादी द्वारा दिनांक 15.02.2023 को एक आवेदन सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की बहाली कर तकरारी भूमि सिडियुल नं0 02 अर्जीनालिश की वैज्ञानिक पद्धति से मापी कर अतिक्रमण रास्ता का किया गया है जिसे नजरी नक्सा में ई0बी0एफ0जी0 से दिखाया गया है, उसे मापी कर प्रतिवेदन देने हेतु दिया गया है। वादी का आवेदन स्वीकार होने योग्य नहीं है। वादी ने अपने वादपत्र के कंडिका 11 में यह स्वीकार किया है कि तकरारी खेसरा नं0 755 की कुल एराजी 8 कठा 4 धुर की उत्तरी भाग 4 कठा 2 धुर प्रतिवादी भागमण देवी को प्राप्त है तथा

दक्षिणी अंश 4 कठा 2 धुर रामानंद सिंह उनके लड़के यानी वादीगण को प्राप्त है। पराग्राफ –13 में कहा है कि सुलहनामा बंटवारा के अनुसार वादी जितेन्द्र सिंह का मकान बना हुआ है। पूरब 15 फीट रास्ता छोड़कर। वादी ने जो वादपत्र में नजरी नक्सा में तकरारी प्लॉट के पूरब में रास्ता, उत्तरे–दक्षिण बताया वो दिखाया है। लेकिन कमिश्नर सिंह आधी वाली भाग उत्तरी अंश पर बदनियती से ले जाना चाहते हैं जबकि प्रतिवादी अपने बयान तहरीरी सह काउण्ड क्लेम में सारी बाते स्पष्ट कर दिया है कि वादी ने ही अतिक्रमण कर घर बना लिया है। रास्ता उक्त प्लॉट के उत्तर से दक्षिण अंश तक दिखाया गया है तथा रास्ते की अतिक्रमण की बात है तथा आधी अंश पर कमीश्नर की प्रतिवेदन, क्या इस मामले को स्पष्ट कर सकेगा। वस्तुतः वादी अपने वादपत्र के पक्ष में बिल्कुल सही तथ्यों को छुपाकर साक्ष्य एकत्रित करने हेतु दिनांक 15.02.2023 को आवेदन सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने हेतु आवेदन दिया है जो स्वीकार होने योग्य नहीं है। अतः निवेदन है कि वादी का आवेदन दिनांक 15.02.2023 साथ खर्चा के खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति हेतु आवेदन दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि अर्जीदावी के अनुसार सिडियुल नं0 01 में 8 कठा 4 धुर, प्लॉट नं0 775, खाता नं0 02 का जमीन है और सिडियुल नं0 02, 8 कठा 4 धुर का पूर्ववारी अंश है जो उत्तरे–दक्षिणे 120 फीट और पूरबे–पश्चिमे 15 फीट है। सिडियुल नं0 02 इस मुकदमे का विवादित जमीन है जिसको नजरी नक्सा में बहस ई0,बी0,एफ0,जी0 में दिखाया गया है। प्रतिवादी सिडियुल नं0 02 को अपना मानते हुए अतिक्रमण कर लिया है। ऐसी परिस्थिति में तकरारी एराजी सिडियुल नं0 02 का वर्तमान भौतिक वस्तु स्थिति अभिलेख पर आना तथा सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 15.02.2023 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 3000/–रूपया नजारत में जमा करें। वाद दिनांक .....को वाद बिन्दु के निर्धारण हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।